

>

Title : The Minister of Parliamentary Affairs made a statement regarding Government Business for the week commencing the 22nd March, 2011 and submissions made by members.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): With your permission, Madam, I rise to announce that the Government Business during the week commencing Tuesday, the 22nd of March, 2011, will consist of:

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.
2. Consideration and passing of the Finance Bill, 2011.
3. Consideration and Passing of the Coinage Bill, 2009.
4. Consideration and passing of the following Bills, after they are passed by Rajya Sabha:-
 - (a) The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2010; and
 - (b) The Pesticides Management Bill, 2008.
5. Consideration and passing of the Constitution (One Hundred and Eleventh Amendment) Bill, 2009.

...(Interruptions)

MADAM SPEAKER: Hon. Members may lay their submissions on the Statement made by the Minister of Parliamentary Affairs.

...(Interruptions)

ओशी हरीश चौधरी (बाड़मेर): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान निम्नलिखित एजेण्डों को शामिल करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

1. देश के पेट्रोलियम पदार्थों के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत करने वाले राजस्थान के जिले बाड़मेर में एक सरकारी क्षेत्र में रिफाइनरी की स्थापना का कार्य जिससे पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन लागत में कमी की जा सके।
2. राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में औद्योगिक विकास एवं मरुभूमि में रहने वाले गरीब लोगों के सामाजिक विकास एवं जीवन स्तर सुधारने संबंधी सुविधाओं हेतु पैकेज के माध्यम से वित्तीय सहायता।

ओशी हरिभाऊ जावले (रावेर): महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषयों को विचार के लिए जोड़ा जाये-

1. महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर सेवारत 10000 से अधिक अध्यापकों के लिए नियुक्ति पश्चात् NET/SET से छूट देने का प्रवधान मंत्रालय द्वारा निरस्त करने से व्यापक आक्रोश व्याप्त है! राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी गंभीर चिंता का विषय है जिसे मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ!
2. सहकारिता एवम निजी क्षेत्र के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के वर्तमान निवृत्ती वेतन में बढ़ी हुई महंगाई के परिप्रेक्ष्य में उचित मात्रा में बढ़ोतरी होना अतिआवश्यक है!

ओ.डी. भोला सिंह (नवादा): महोदय, मैं माननीया अध्यक्ष महोदय की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री ने आगामी सप्ताह के लिये जो कार्यक्रम उपस्थापित किए हैं मैं उसमें दो निम्नलिखित प्रस्ताव जोड़ना चाहता हूँ

1. बिहार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुलाधिपति की अमर्यादित आचरण के कारण अराजकता फैली है उस पर केन्द्र सरकार विचार करे।
2. बिहार के नवादा जिल में केन्द्रीय विद्यालय के लिए जनता द्वारा 6 एकड़ जमीन दी गयी है, सरकार केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कदम उठाये।

* Speech was laid on the Table

*SK. SAIDUL HAQUE (BARDHAMAN-DURGAPUR): Sir, I want to submit that the following items be included in the next week's agenda.

1. Recently coal India has increased the price of coal and it is causing suffering to the people at large. It will go to increase the price of electricity and other items. Government should withdraw the increased rate of coal immediately.
2. A halt station Kondaipur, in Asansol Division of Eastern Railway in the district of Budhaman should be made by the railway authorities in order to facilitate villagers of more than 10 villages who have now to walk almost 6 K.M. to go to the nearest railway station.

ओशी रामकिशुन (चन्दौली): महोदय, कृपया दो विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ लिया जाए;

1. देश में लगातार बढ़ रही गंभीर बीमारियों के महंगे इलाज के चलते इलाज कराने में असमर्थ किसानों, मजदूरों, बुनकरों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु अविलंब आर्थिक सहायत दिये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष कोष की स्थापना किये जाने की आवश्यकता के संबंध में।
2. देश की विभिन्न राज्यों सहित पिछड़े क्षेत्रों में लगातार गिर रहे भू-जल स्तर के चलते उत्पन्न हो रहे पेय जल संकट की समस्या को तत्काल हल किये जाने की आवश्यकता के संबंध में।

* Speech was laid on the Table.

ओशी अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नांकित विषयों को सम्मिलित किया जाये।

1. अतिवृष्टी/ओलावृष्टी के कारण कच्ची बस्तियों में पानी भर जाने एवं कच्चे मकान टूट जाने के कारण सीआरएफ/एनसीसीएफ नियमों में संशोधन करने के संबंध में प्रस्ताव पेश करता हूँ, क्योंकि नियमों में बाढ़ शब्द का उल्लेख किया गया है, उसकी व्याख्या करते समय अधिकारी अतिवृष्टी/तोलावृष्टी को बाढ़ में सम्मिलित नहीं करते हैं और सीआरएफ/ एनसीसीएफ नियमों में सहायता नहीं उपलब्ध कराते हैं। अतः इस विषय को लोक सभा की आगामी सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाये।
2. कृषि बीमा योजना में वर्तमान में तहसील को इकाई माना गया है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि तहसील की जगह ग्राम को इकाई मानकर कृषि बीमा योजना का लाभ किसानों को उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। अतः इस विषय को लोक सभा की आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाये।

ओशी सुरेश काशीनाथ तवारे (भिवन्डी): महोदय, निम्नलिखित विषय की महत्वपूर्ण समस्याओं को कार्यसूची में जोड़ने का कष्ट करें।

1. मेरे संसदीय क्षेत्र भिवन्डी में एवं देश में बनुकरों की स्थिति दयनीय हो गई है, भिवन्डी में लगभग 5 लाख इकाइयां बंद होने के कारण पर हैं। बुनकरों, उद्यमियों के हित में आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
2. महाराष्ट्र में भारतीय वन अधिनियम 1927 धारा 35(3) के तहत किसानों की खेती की जमीन अधिग्रहण की जा रही है। किसानों के हित में धारा 35(3) में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। अधिग्रहण को रोके जाने की आवश्यकता है।

* Speech was laid on the Table

ओशी दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): महोदया, लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाये।

1. बिहार राज्य के एन0एच0-107 के 16वें कि.मी. में डूमरी घाट एवं एन0एच0-31 के खगड़िया में गंडक नदी पर क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नये पुल का निर्माण कराया जाये।
2. बिहार राज्य अंतर्गत गंगा नदी पर अगवानी घाट पर पुल निर्माण कराया जाये।

ओशी ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): महोदया, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को विचार के लिए जोड़ा जाये।

1. देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की 37 करोड़ संख्या को देखते हुए इनके खाद्य सुरक्षा और ओशन हेतु खाद्य सुरक्षा अधिनियम तत्काल पारित करने की आवश्यकता है।
2. देश में भू-माफिया, तेल माफिया और रेत माफियाओं के बढ़ते गोरखधंधों को रोकने के लिए एक ऐसा कानून बनाने की जरूरत है, जिससे इन माफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर सकें, ऐसा कानून तत्काल संसद में लाकर पारित करने की आवश्यकता है।

* Speech was laid on the Table

MADAM SPEAKER: Now, we take up Discussion under Rule 193

Shrimati Harsimrat Kaur Badal – not present.

Shri Navjot Singh Sidhu – not present.

...(Interruptions)

11.07 hrs.

At this stage Shri Anurag Singh Thakur and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

...(Interruptions)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदया, आपने इन्हें कालिंग अटेंशन के लिए बुलाया था और इन्होंने दूसरी बात करनी शुरू कर दी।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12.15 p.m.

11.08 hrs

**The Lok Sabha then adjourned till fifteen minutes past
Twelve of the Clock.**

The Lok Sabha re-assembled at fifteen-minutes past Twelve of the Clock.

(Madam Speaker in the Chair)

...(Interruptions)